

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.11(10)नविवि/टिब्बी(हनुमानगढ़)/2024

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा टिब्बी (जिला हनुमानगढ़) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम/चक सम्मिलित होंगे, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान, क्षैतिज वर्ष-2043 तक के लिए तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर को नियुक्त किया जाता है:-

क्र.स.	चक का नाम (हिन्दी में)	चक का नाम (अंग्रेजी में)
1.	4 आर.के.	4 RK
2.	5 आर.के.	5 RK
3.	6 जी.जी.आर.	6 GGR
4.	6 एस.आर.डब्ल्यू.	6 SRW
5.	7 एस.आर.डब्ल्यू.	7 SRW
6.	8 जी.जी.आर.	8 GGR
7.	10 जी.जी.आर.	10 GGR
8.	13 जी.जी.आर.	13 GGR
9.	15 जी.जी.आर.	15 GGR

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, टिब्बी।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
12. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
8029404

शासन उप सचिव-प्रथम